



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23032026-271214  
CG-DL-E-23032026-271214

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1445]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 23, 2026/चैत्र 2, 1948

No. 1445]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 23, 2026/CHAITRA 2, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2026

**का.आ. 1510(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4269 (अ) तारीख 22.09.2025 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) कि.मी. 0.000 से कि.मी.28.000 कि.मी. और तुलजापुर बाईपास के 0.000 कि.मी.से 11.593 कि.मी.(तुलजापुर-औसा खंड) का निर्माण (चौड़ा करणे चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "31.10.2025" को "सकाळ" और "लोकमत समाचार" दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के 0.000 कि.मी.से.28.000 कि.मी.और 0.000 कि.मी.से 11.593 कि.मी तक तुलजापुर बाईपास (तुलजापुर से औसा सेक्शन) के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: धाराशिव (उस्मानाबाद)					
गांव का नाम: करजखेडा					
1	36	निजी	कृषि	0.03	काशीनाथ बलभीम जाधव आशादेवी बलभीम जाधव 36
2	36	निजी	कृषि	0.05	बलभीम रामराव जाधव 36
3	36	सरकारी	सुष्क	0.03	महाराष्ट्र शासन कॅनाल 36
4	37	सरकारी	सुष्क	0.1	महाराष्ट्र शासन कॅनाल 37
5	37	निजी	कृषि	0.03	राजेंदर गिरजप्पा भंडारकर 37
6	37	निजी	कृषि	0.03	अन्नासाहेब गिरजप्पा भंडारकर 37
7	37	निजी	कृषि	0.03	सुरेश गिरजाअप्पा भंडारकर 37
8	37	निजी	कृषि	0.03	विलास शंकर चव्हाण 37
9	37	निजी	कृषि	0.03	रोहित विलास चव्हाण (एम्.यू.जी) विलास शंकर चव्हाण 37

10	39	निजी	कृषि	0.01	शिवाजी सदाशिव चव्हाण 39
11	40	निजी	कृषि	0.08	श्रीराम शिवाजी चव्हाण 40
12	40	सरकारी	सुष्क	0.05	महाराष्ट्र शासन कॅनाल 40
<b>कुल योग</b>				<b>0.5</b>	

[फा. सं. NHA/PIU/SLP/LA/23011/1/14/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2026

**S.O. 1510(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number **S.O. 4269 (E), dated 22.09.2025**, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km 0.000 to Km 28.000 and stretch of Tuljapur bypass from Km. 0.000 to Km. 11.593 (Tuljapur-Ausa Section) in village Karajkheda Taluka District Dharashiv (Osmanabad) in the State of Maharashtra hereby declares its intention to acquire such land.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "**Sakal**" and "**Lokmat Samachar**" both dated 31.10.2025, under sub-section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(D) of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 28.000 and stretch of Tuljapur Bypass Design Chainage Km. 0.000 to Km. 11.593 (Tuljapur-Ausa Section) of NH No.361 in the State of Maharashtra.**

<b>State: MAHARASHTRA</b>			<b>District: Dharashiv (OSMANABAD)</b>		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Dharashiv (OSMANABAD)</b>					
<b>Village: Karajkheda</b>					
1	36	Private	Agriculture	0.03	Kashinath Balbhim Jadhav Ashadevi Balbhim Jadhav 36

2	36	Private	Agriculture	0.05	Balbhim Ramrao Jadhav 36
3	36	Government	Dry	0.03	Govt of Maharashtra Canal 36
4	37	Government	Dry	0.1	Govt of Maharashtra Canal 37
5	37	Private	Agriculture	0.03	Rajendar Girjappa Bhandarkar 37
6	37	Private	Agriculture	0.03	Annasaheb Girjappa Bhandarkar 37
7	37	Private	Agriculture	0.03	Suresh Girjappa Bhandarkar 37
8	37	Private	Agriculture	0.03	Vilas Shankar Chavhan 37
9	37	Private	Agriculture	0.03	Rohit vilas Chavhan (M.U.G) Vilas Shankar Chavhan 37
10	39	Private	Agriculture	0.01	Shivaji Sadashiv Chavhan 39
11	40	Private	Agriculture	0.08	Shriram Shivaji Chavhan 40
12	40	Government	Dry	0.05	Govt of Maharashtra Canal 40
<b>Total</b>				<b>0.5</b>	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/14/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director